महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– रू0वि0/सम्ब0/2015/ 6108–24 दिनांक : 07.11.2015

सेवा मे,

प्रबन्धक,
ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय,
खुदागंज, तिलहर, शाहजहांपुर।

विषय : संस्था ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय, खुदागंज, तिलहर, शाहजहांपुर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम/विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2015–16 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक शून्य का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संस्था ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय, खुदागंज, तिलहर, शाहजहांपुर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम/विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2015–16 से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्र संख्याः रू0वि/सम्बद्धता/2015/6645–53, दिनांक 30.06.2015 के द्वारा संस्था ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय, खुदागंज, तिलहर, शाहजहांपुर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0(हिन्दी, अंग्रजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र व गृह विज्ञान) पाठ्यक्रम/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन, आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं की नियुक्ति /अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन वांछित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2015 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान की गई है।

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 04.11.2015 के द्वारा संस्था ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय, खुदागंज, तिलहर, शाहजहांपुर को प्रवक्ताओं की नियुक्ति व अनुमोदन के उपरान्त स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र व गृह विज्ञान) प्रत्येक विषय में एक–एक सेक्शन(अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन), कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2015–16 से आगामी तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रदान की जाती हैः

1. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

डा0(एस०एल०मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वित्त अधिकारी
2. उप/सहायक कुलसचिव (परीक्षा, गोपनीय, शैक्षणिक, मुद्रण)
3. निजी सचिव कुलपति।
4. प्रभारी कम्प्यूटर।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
6. बेवसाइट प्रभारी।

कुलसचिव